झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांकः–रा0खा0आ0–(विविध)–86 / 2018 - 812

प्रेषक,

हिमांशु शेखर चौधरी
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक– 07.12.2021

विषयः– **अपर समाहर्त्ता के स्थानान्तरण / पदस्थापन के क्रम में जारी किये जाने वाले अधिसूचना में उन्हें जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में भी अधिसूचित किये जाने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के सफल क्रियान्वयन हेतु खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना ज्ञापांक–2853 दिनांक–26.05.2015 द्वारा अधिनियम की धारा–15 (1) के प्रावधानों के अधीन शिकायतों के निवारण हेतु जिला स्तर पर संबंधित जिला के अपर समाहर्त्ता को जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा राज्य के अपर समाहर्त्ता के पद पर स्थानान्तरण / पदस्थापन के क्रम में जारी किये जाने वाले अधिसूचना में मात्र अपर समाहर्त्ता के रूप में पदाधिकारियों के स्थानान्तरण / पदस्थापन का उल्लेख किया जाता है। इससे कई बार अपर समाहर्त्ता द्वारा जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में उन्हें पदाभिहित किये जाने के संबंध में अनभिज्ञता व्यक्त की जाती है, जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् प्राप्त शिकायतों के निवारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अतः अनुरोध है कि अपर समाहर्त्ता के स्थानान्तरण / पदस्थापन के क्रम में जारी किये जाने वाले अधिसूचना में उन्हें अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित करने एवं इनकी प्रति आयोग को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
07/12/2021

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः– रा0खा0आ0 (विविध) 86/2018-812 राँची, दिनांकः– 07/12/2021

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची एवं माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

07/12/2021

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\Anju\Dropbox\Premlata\Letter.docx114